


9415180374

अनुलग्नक-1

नलकूप के निमित्त विद्युत कनेक्शन के लिये
आवेदन पत्र



- 1- प्रार्थी का नाम श्री जगदीश पाठक
पता ग्राम बदनपुर पोस्ट विरवेश ब्लाक सुमेरपुर
- 2- बिजली की शक्ति की मात्रा जिसके लिये आवेदन पत्र दिया जा रहा है।
10 HP
- 3- स्थान जहाँ कनेक्शन अपेक्षित है। ग्राम बदनपुर पो. विरवेश ब्लाक सुमेरपुर
- 4- प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्रफल जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी
जमीन के टुकड़ों का पूरा विवरण उनकी नाप संख्या स्थिति आदि का
पूरा विवरण.....
- 5- क्या उस क्षेत्र की सिंचाई किसी साधन पक्के कुँए आदि से की जाती है.....
- 6- अब तक उस क्षेत्र की सिंचाई किन साधनों से की जाती थी अब उससे
आगे काम क्यों नहीं लिया जाता है?.....
- 7- क्या यह क्षेत्र अंशता या पूर्णता: किसी राजकीय नलकूप या नहर द्वारा
सिंचे जाने वाले क्षेत्रफल (कमान्ड एरिया) के अन्तर्गत आता है.....
- 8- क्या नलकूप की बोरिंग (खुदाई) की गई है और पम्प तथा मोटर लगा
दिये गये हैं.....
- 9- प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकटतम राजकीय नलकूप अथवा नहर के बीच की दूरी.....
- 10- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो 30 मीटर
- 11- पाइप का प्रयास चलनी (स्टेनर) की लम्बाई बोरिंग की खुदाई गहराई 220 फुट
सोते की सतह पहले उपज पानी फूटने की सतह को गहराई और पानी
निकलने का परिणाम प्रति घण्टा भेजना है.....
- 12- प्रार्थी की जन्मतिथि 20/12/1955

दिनांक 28/12/2023

प्रार्थी के हस्ताक्षर

जगदीश

नाम जगदीश पाठक

श्री जगदीश पाठक ड/0 श्री जगदीश पाठक

निवासी बदनपुर विकास खाण्ड सुमेरपुर की ग्रामपंचायत

गहरी बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इनकी

कृषि कार्य हेतु 10HP के विद्युत कनेक्शन देने

की संस्तुति की जाती है।

ग्राम बदनपुर

पो. विरवेश

ब्लाक सुमेरपुर

जिला- हमीरपुर 3090

महोदय,

जगदीश
Sumerpur

अ० शा० पत्रांक 1832/38 क दिनांक 4-3-68 के अन्तर्गत
(यदि 5 हार्स पावर से अधिक लोड की आवश्यकता हो)


प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम अश्विनी पाठक
एकड़ भूमि है। जिसके लिये नलकूप लगाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा चक संख्या
में बोरिंग लगाई गई है।




(महेश चन्द्र)

अवर अभियन्ता लघु सिंचाई
हमीरपुर


खण्ड विकास अधिकारी
हमीरपुर

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी ने अपना कुँआ बनवा लिया है और विद्युत की माँग उचित है।
यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नलकूप 25 मीटर चौड़ी नहर से 200 मीटर दूर है।
25 मीटर चौड़ी नहर से 100 मीटर है।



(महेश चन्द्र)


अवर अभियन्ता लघु सिंचाई
हमीरपुर

संख्या 260(1) एफ० टी०/23 आई० ई० सी० दिनांक 22-2-68 के अन्तर्गत


खण्ड विकास अधिकारी
हमीरपुर


प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी को प्रस्तावित नहर से ठीक पानी नहीं मिल पाता, तथा विभाग का
प्रार्थी के नलकूप को कनेक्शन देने में कोई आपत्ति नहीं है।



(महेश चन्द्र)

अवर अभियन्ता लघु सिंचाई
हमीरपुर


खण्ड विकास अधिकारी
हमीरपुर